

24/6/25

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब पं. दिव्याकाश उपाख्य विम्व डी पन्नाटे
अतः पत्रावली इलतबा होकर आयन्दा
दिनांक 11.7.25 को पेश हो।


स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज ने
जवाब पेश किया जिसे खासिल पत्रावली किया
गया।

11.7.25

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब धारा उदयगंज एमएलए के-4 धारा 81
अतः पत्रावली इलतबा होकर आयन्दा
दिनांक 11.8.25 को पेश हो।

11.8.25

पत्रावली पेश इडी प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज द्वारा
तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब
पर प्रार्थी अधिवक्ता की बयान चुनी गई।
पत्रावली वाले इलिय वेतु डिनिक
8.8.2025 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

8/8/25


पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब डिव.डा.श. ध. 81
अतः पत्रावली इलतबा होकर आयन्दा
दिनांक 9/8/25 को पेश हो।

19/8/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी जा चुकी है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा जांच रिपोर्ट में अवागत कराया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बडगांव के खसरा नं. 670/30 रकबा 0.8417 हैक्टर की तरमीम वर्तमान ऑनलाईन नक्शों में DILRMP के तहत की गई है। उपर्युक्त खसरा नम्बर की तरमीम पुराना नक्शा लटठा में नहीं की हुई है। व तरमीम के साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र को खारिज किया जाना उचित बताया है। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन कर अपनी वादग्रस्त आराजी की तरमीम दुरुस्ती करने का पुनः निवेदन किया।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब का गहनता से अध्ययन व उस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी की तरमीम दुरुस्ती के संबंध में कोई ठोस तथ्य पेश नहीं किये है। व तहसीलदार शिवगंज द्वारा वर्तमान की गई तरमीम को उचित बताया है। जिससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान नक्शों में की गई तरमीम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पोषणीय नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

